न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा(राज0)
बइजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S.

मिसल नंबर 02/18 निर्णय दिनांक 19.11.2019

बउनवान

1. पप्पू आत्मज शौकत आयु 40 वर्ष।
2. अंगूर आत्मजा शौकत आयु 55 वर्ष।
3. नसीम आत्मजा शौकत आयु 47 वर्ष।
4. मुन्नी आत्मजा शौकत आयु 44 वर्ष।
5. आबनोर आत्मजा शौकत आयु 38 वर्ष जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम इस्लाम नगर तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)। —वादी—

बनाम

1. शकूर आत्मज शौकत आयु 50 वर्ष जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम इस्लाम नगर तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री रेवतीरमण जी नागर।

प्रतिवादीगण

वाद घोषणा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम इस्लाम नगर पटववार हल्का ढोटी तहसील कनवास में खाता न0 57 की सम्वत् 2070 से 2072 जमाबन्दी के अनुसार खसरा न0 6 की 1. 72 है0, खसरा न0 06/618 की 0.01 है0, व खसरा न0 7 की 0.39 है0, खसरा न0 14 की 1.39 है0, खसरा न0 547 की 0.15 है0, किता 5 की 3.66 है0, आराजी स्थित हैं जिसमे प्रतिवादी न0 एक का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है वादी न0 एक प्रतिवादी न0 एक का सगा भाई व वादीनी न0 2, 3, 4, 5 सगी बहनें है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी न0 एक के पिता स्वर्गीय शौकत पुत्र कमरूद्दीन थे, जिनकी मृत्यु उनके पिता कमरूद्दीन से पहले ही हो गई थी। जिनकी संतानें वादीगण एवं प्रतिवादी न0 एक था तथा शौकत की दो बहनें क्रमशः विस्मिली व रमजी थी, कमरूद्दीन के फौत होने के बाद उनके खाते की उपरोक्त वर्णित आराजी में फौती इंतकाल दर्ज करते समय दोनों पुत्रियों व मृतक पुत्र शौकत के स्थान पर केवल मात्र प्रतिवादी न0 एक शकूर का ही नाम दर्ज किया

गया तथा शौकत की बाकी संताने जो वादीगण है उनका नाम इंतकल में दर्ज नहीं किया गया और मात्र शकूर का ही नाम दर्ज करके तस्दीक कर दिया गया इस कारण वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजी में अपने हक से महरूम हो गये। यह कि **राजस्व** निम्न प्रकार है।

कमरूद्दीन

शौकत (फौत)1/3 पुत्र	विरिमली1/3 पुत्री	रमजी1/3 पुत्री

शौकत (फौत) की संताने:

शकूर पुत्र (प्रतिवादी न0 1)	पप्पू पुत्र (वादी न01)	अगूर पुत्री (वादी न02)	नसीम पुत्री (वादी न03)	मुन्नी पुत्री (वादी न04)	आबनोर पुत्री (वादी न05)

यह कि वाद पत्र के पेरा न0 एक में वर्णित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिसके बन्दोबस्त से पूर्व के खसरा न0 व रकबा निम्न प्रकार था।

पूर्व खसरा न0	रकबा
5	13.2
11	81.2
318	111.3
किता 5 रकबा 2211.2	

वर्तमान खसरा न0	रकबा
6	1.72 है0
6/618	0.01 है0
7	0.39 है0
14	1.39 है0
547	0.15 है0
किता 5 रकबा 3.66 है0	

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर मृतक कमरूद्दीन जी का इंतकाल दर्ज करते समय कमरूद्धीन की दोनो पुत्रियों के नाम के साथ उनके मृतक पुत्र शौकत के सभी वारिसों का नाम दर्ज नहीं करके केवल मात्र शकूर प्रतिवादी न0 1 का ही नाम दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल के न0 182 दिनांक 25.05.89 है इससे वादीगण के पिता के स्थान पर केवल मात्र प्रतिवदी न0 एक का ही नाम दर्ज करके वादीगण के हितो के साथ कुठाराघात किया है। जबकि उक्त आराजी में वादीगण के पिता शौकत जी के 1/3 हिस्से में वादीगण को नाम भी प्रतिवादी न0 एक के साथ दर्ज होना चाहिये। इस हेतु वादीगण को जानकारी होने के बाद

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण के द्वारा राजस्व शिविरों में राजस्व कर्मचारियों से प्रार्थना पत्र देकर वादीगण का नाम खाते में दर्ज करनें का निवेदन करने पर भी वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया गया। जबकि वादीगण का भाई प्रतिवादी न0 एक इससे सहमत है फिर भी वादीगण का नाम दर्ज नहीं किया।

यह कि वादीगण का उपरोक्त वर्णित आराजी में हक निहित है जिसे रिकार्ड में दर्ज करवाने का वादीगण को विधिक अधिकार प्राप्त है। जिसे हासिल करने हेतु वादीगण का माननीय न्यायालय से इन्द्राज दुरूस्ती व हक घोषणा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है।

यह कि प्रतिवादी न0 2 राजस्थान सराकर को जर्ये तहसीलदार फोर्मल पक्षकार लेण्ड होल्डर होने के कारण बनाया गया है। तथा प्रतिवादी न0 2 के प्रतिनिधि जिला कलक्टर को विधिक नोटिस देकर निवेदन करने पर भी **मियाद** गुजरने तक भी वादीगण का नाम खाते में दर्ज नहीं करने पर वाद कारण उत्पन्न हुआ है।

यह कि वाद का मुल्यांकन इन्द्राज दुरूस्ती एवं हक घोषणा हेतु 1000 रू नियत किया जाकर निश्चित न्याय शुल्क पर वाद पेश किया गया है।

यह कि विवादित आराजी माल ग्राम इस्लाम नगर पटवार हल्का ढोटी तसहील कनवास जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः वाद अवधि मध्य पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर माल ग्राम इस्लाम नगर पटवार हल्का ढोटी तसहील कनवास की खसरा न0 6 की 1.72 है0, खसरा न0 06/618 की 0.01 है0, व खसरा न0 7 की 0.39 है0, खसरा न0 14 की 1.39 है0, खसरा न0 547 की 0.15 है0, किता 5 की 3.66 है0, आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित करके खाते पर प्रतिवादी न0 एक शकूर के साथ वादीगण का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज किये जाने की डिक्री **सहित** पारित फरमाई जाने का आदेश प्रदान करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई, प्रतिवादीक्रम 01 द्वारा दिनांक 03.05.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के प्रस्तुत वाद में अंकित मद 01 लगायत 7 स्वीकार हैं, शेष 08 व 09 कानूनी है। एवं वादी का वाद मुताबिक वाद डिक्री किया जाना स्वीकार है। प्रतिवादी क्रम 01 का जवाब शामिल पत्रावली किया गया। बहस एक तरफा सुनी गयी। प्रतिवादी नबंर 02 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वाद को डिक्री किये जाने में कोई राजहित प्रभावित नंही होता है।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे का गहनता पूर्वक अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में माल ग्राम इस्लाम नगर पटवार हल्का ढोटी तसहील कनवास की खसरा न0 6 की 1.72 है0, खसरा न0 06/618 की 0.01 है0, व खसरा न0 7 की 0.39 है0, खसरा न0 14 की 1.39 है0, खसरा न0 547 की 0.15 है0, किता 5 की 3.66 है0, आराजी में इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा की डिक्री पारित करके खाते पर प्रतिवादी न0 01 शकूर के साथ वादीगण का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम इस्लाम नगर पटवार हल्का ढोटी तसहील कनवास की खसरा न0 6 की 1.72 है0, खसरा न0 06/618 की 0.01 है0, व खसरा न0 7 की 0.39 है0, खसरा न0 14 की 1.39 है0, खसरा न0 547 की 0.15 है0, किता 5 की 3.66 है0, को दुरूस्त कर उक्त आराजी में प्रतिवादी न0 01 शकूर के साथ वादीगण क्रमशः पप्पु, अगूंर, नसीम, मुन्नी, आबनोर का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। तथा उपरोक्तानुसार अंतिम डिकी जारी की जाती है।

आदेश आज दिनांक 19.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम **कनवास**

न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

बउनवान

1. पप्पू आत्मज शौकत आयु 40 वर्ष।
2. अंगूर आत्मजा शौकत आयु 55 वर्ष।
3. नसीम आत्मजा शौकत आयु 47 वर्ष।
4. मुन्नी आत्मजा शौकत आयु 44 वर्ष।
5. आबनोर आत्मजा शौकत आयु 38 वर्ष जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम इस्लाम नगर तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)

–वादी–

बनाम

1.शकूर आत्मज शौकत आयु 50 वर्ष जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम इस्लाम नगर तहसील कनवास जिला कोटा (राज0)

2.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

–प्रतिवादीगण–

वाद घोषणा हक घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट

निर्णय

मुकदमा नं. 02/18 सन् 2019 तारीख फैसला 19.11.2019 **न्यायालय ब इजलास श्रीमती पुष्पा हरवानी उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट **श्री रेवतीरमण जी नागर वादी** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी 01 की ओर से एडवोकेट श्री बद्रीलाल मेरोठा तथा राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि **ग्राम इस्लाम नगर पटवार हल्का ढोटी तसहील कनवास की खसरा न0 6 की 1.72 है0, खसरा न0 06/618 की 0.01 है0, व खसरा न0 7 की 0.39 है0, खसरा न0 14 की 1.39 है0, खसरा न0 547 की 0.15 है0, किता 5 की 3.66 है0, को दुरूस्त कर उक्त आराजी में प्रतिवादी न0 01 शकूर के साथ वादीगण क्रमशः पप्पु, अगूंर, नसीम, मुन्नी, आबनोर, का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **19.11.2019** माह **नवम्बर 2019** को जारी की गई।

मोहर ....

पुष्पा हरवानी (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	''''	------NIL------		स्टाम्प वकालतनामा	''''	------NIL------	
स्टाम्प वकालतनामा	''''			स्टाम्प अर्जी	''''		
स्टाम्प वजह सबूत	''''			महनताना वकील	''''		
महनताना वकील	''''			खर्चा गवाहान	''''		
खर्चा गवाहान	''''			फीस कमिश्नर	''''		
फीस कमिश्नर	''''			बाबत इजराय हुकमनामा	''''		
बाबत इजराय हुकमनामा	''''			मुतफर्रिक	''''		
मुतफर्रिक	''''			मीजान	''''		
मीजान	''''						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहियें

पुष्पा हरवानी (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास